नगर निगम फरीदाबाद

बनाम

दुर्गा प्रसाद

(दीवानी अपील संख्या 1993 सन 2008)

मार्च 14, 2008

[डॉ. अरिजित पसायत और पी.सथाशिवम, जेजे.]

श्रम कानून:

श्रम न्यायालय ने कर्मकार के पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया - नियोक्ता द्वारा अधिनिर्णय के विरूद्घ रिट याचिका दायर की- हाईकोर्ट द्वारा खारिज की गयी - अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किए बिना पहले के फैसले पर भरोसा करके अपछिन्न रूप से नियोक्ता को किसी भी राहत का हकदार नहीं होने का निष्कर्ष किया - उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया उक्त दृष्टिकोण नैमित्तिक है - न्यायालय द्वारा वाद को पुनः प्रेषित किया गया - भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 226 - रिट याचिका - निस्तारित की गयी -- अभ्यास और प्रक्रिया.

प्रतिवादी/कर्मचारी काम करते समय एक दुर्घटना का शिकार हुए, जिस कारणवश प्रतिवादी/कर्मचारी कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। कर्मचारी द्वारा दावा याचिका दायर की गयी। अपीलकर्ता/नियोक्ता द्वारा पेश तर्क कि प्रतिवादी ने केवल 179 दिनों तक काम किया था, को खारिज करते हुए श्रम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/कर्मचारी के पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया कि कर्मचारी द्वारा 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा उक्त अधिनिर्णय से व्यथित होकर उच्च

न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी/कर्मचारी की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त की गई थीं और इसलिए वह पूर्ण-बैक वेतन का हकदार था।

वर्तमान अपील में विचारण हेतु मुख्य प्रश्न यह है कि यह है कि क्या उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण नैमित्तिक था, क्योंकि न्यायालय द्वारा नैमित्तिक रूप से पूर्व में पारित निर्णयों के आधार पर अपीलकर्ता को किसी राहत का हकदार नहीं माना है।

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किए बिना, पूर्व में पारित निर्णयों के आधार पर अपीलकर्ता को किसी राहत का हकदार नहीं माना है, खासकर तब, जब अपीलकर्ता/नियोक्ता पर कर्मचारी के 240 दिन लगातार काम नहीं करने के तथ्य को साबित करने का भार गलत तौर से डाला गया। न्यायालय का उक्त दृष्टिकोण पूर्ण रूप से नैमित्तिक है। [अनुच्छेद 7] [100-ए, बी]

हरि पैलेस, अंबाला शहर बनाम पीठासीन अधिकारी, लेबर कोर्ट और ए. एन. आर. (पंजाब लॉ रिपोर्ट, खंड. LXXXI-1979, 720 -- को निर्दिष्ट किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं.1993/2008।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ 2002 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11307 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम आदेश दिनांकित 9/9/2003।

मंजीत सिंह, सतीश हुड्डा और टी. वी. जॉर्ज, अपीलकर्ता की ओर से

मधुस्मिता बोरा और एस बालाजी, प्रतिवादी की ओर से

निर्णय इनके द्वारा पारित किया गयाः

डॉ. अरिजित पसायत, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. हस्तगत अपील में उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा की खंडपीठ द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त रिट याचिका में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय 1, फरीदाबाद द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गयी थी।

3. संक्षेप में हस्तगत मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी/कर्मचारी को नियोक्ता/अपीलकर्ता द्वारा दिसंबर, 1991 में बतौर बेलदार नियुक्त किया गया था व कार्य के दौरान प्रतिवादी/कर्मचारी एक दुर्घटना से ग्रस्त हुए, जिसके संदर्भ में प्रतिवादी/कर्मचारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी थी, उक्त हादसे के कारण प्रतिवादी/कर्मचारी अपने पदीय दायित्व हेतु कर्मस्थल पर उपस्थित नहीं हो पाया, जिसकी जानकारी पूर्णतः उसके नियोक्ता/अपीलकर्ता को थी। अपीलकर्ता के प्रबंधन से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु भी आवेदन किया गया था, उक्त कथित दुर्घटना दिनांक 21.8.1992 को हुई थी, जिसके संदर्भ में प्रतिवादी/कर्मचारी द्वारा दावा याचिका दायर की गयी, जिसका अपीलकर्ता द्वारा पूर्णतः विराेध किया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी/कर्मचारी द्वारा केवल 179 दिनों के लिए काम किए जाने का कथन किया गया है, जिसको अस्वीकार करते हुए श्रम न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा 240 दिन से अधिक समय तक काम किए जाने के तथ्य की पुष्टि कर आदेश पारित किया, जिसके विरूद्घ अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया है और इसलिए प्रतिवादी पूर्ण वेतन का हकदार था। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि

पिछला वेतन प्राप्त करना एक सामान्य नियम है और इस पर आपत्ति करने वाले पक्ष को उक्त नियम लागू ना होने की परिस्थितियों को स्थापित करना होता है।

उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय हेतु उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा द्वारा पारित फुल बेंच के निर्णय उनवान हरि पैलेस अम्बाला शहर बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय व अन्य। (पंजाब लॉ रिपोर्ट, खंड. LXXXI-1979, 720) में पारित सिद्घान्तों को आधार बनाया।

4. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा कि श्रम न्यायालय के समक्ष कर्मचारी द्वारा ऐसा कोई तथ्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कर्मचारी को किसी स्वीकृत पद की एवज में नियुक्त की गई थी और वह पूर्ण वेतन का हकदार है। अपीलकर्ता द्वारा पेश आधिकारिक रिकॉर्ड से भी यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि कर्मचारी द्वारा 179 दिनों तक काम किया था। कर्मचारी के काम करने के दिनाेंं में छुट्टियों को गलत तरीके से संयोजित किया गया है, छुट्टियों के दिनों को संयोजित करने के उपरांत भी कर्मचारी द्वारा कार्य किए गए दिनों की संख्या 210 दिन से अधिक नहीं होती।

5. अपीलकर्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि विवादित आदेश में किसी भी प्रकार का कारण अंकित नहीं है व उक्त आधार पर भी विवादित आदेश को प्रभावी रहने योग्य नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी तात्विक साक्ष्य/आधार के नैमित्तिक निष्कर्ष दर्ज किया है। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विवाद को मात्र पूर्व में पारित निर्णयों के आधार पर बिना तथ्यात्मक स्थित को ध्यान में रखते हुए निर्णित नहीं किया जाना चाहिए।

6. प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के सही होने का कथन किया।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किए बिना पूर्व में पारित निर्णयों के आधार पर नैमित्तिक रूप से अपीलकर्ता को किसी राहत का हकदार नहीं माना है। उच्च न्यायालय का उक्त दृष्टिकोण निश्चित रूप से आकस्मिक है। उक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पेश किए गए आधारों में से प्रमुख आधारों में से एक यह था कि अपीलकर्ता पर गलत तौर से प्रतिवादी द्वारा लगातार 240 दिनों तक काम नहीं किए जाने के तथ्य को साबित करने का भार डाला गया है।

8. उक्त परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और हस्तगत वाद की पत्रावली नवीन सिरे से पुनर्विचार करने हेतु उच्च न्यायालय को पुनःप्रेषित की जाती है।

9. अपील स्वीकार की गयी।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक भानुप्रिया सेहरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।